

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- 133/XXXVI-A-1/2026-261/2022 (E-97127)

देहरादून, दिनांक: 08 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञाप

मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किये जाने विषयक न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0-- 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांक: 08.09.2023 में निर्गत किया गया। उक्त शासनादेश में राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता राहत अनुमन्य होगा का उल्लेख नहीं था।

2- उक्त शासनादेश सं0-- 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांक: 08.09.2023 के प्रस्तर 2 के उप प्रस्तर (i) पेंशन/पारिवारिक पेंशन:- विषय के अन्तर्गत बिन्दु (क) के प्रावधान के पश्चात निम्नानुसार प्राविधान पढ़ा जायेगा:-

“उक्तानुसार देय पेंशन पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशानुसार महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी।”

3- शासनादेश सं0-- 382/XXXVI-A-1/2023-261/2022 दिनांक: 08.09.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के ई जनरेट सं0-- I/385550/2026 दिनांक: 07.04.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by

Amit Kumar Sirohi

Date: 08-04-2026

12:42:47

(अमित कुमार सिरोही)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 133 (1)/XXXVI-A-1/2026-261/2022 (E-97127) तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबंधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

डाक अनुभाग

डाकरी सं. 25

दिनांक 15-04-26

वरि. उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकाश
ए.जी./डी.ए.जी. डाकरी सं. 261

दिनांक 15/04/26

2023

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या-382/XXXVI-A-1/2023-261/2022

देहरादून, दिनांक: 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषय- मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किया जाना।

1. मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में "द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग" की संस्तुति के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करते हुए तत्सम्बन्धी एरियर का भुगतान निम्नवत किया जाय-

i. पेंशन/पारिवारिक पेंशन:-

(क) दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को मूल वेतन का 50% एवं 30% क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) दिनांक 09.11.2000 के बाद एवं दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत न्यायिक अधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्न दो सूत्रों के अनुसार किया जायेगा:-

a) प्रथम सूत्र:- दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि में 2.81 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

b) दूसरा सूत्र:- सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त अनुवर्ती वेतन समितियों की संस्तुति के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में मूल वेतन का वैचारिक निर्धारित करते हुए दिनांक 01.01.2016 को देय पेंशन (मूल वेतन का 50%) पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 30%) का निर्धारण किया जायेगा। उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

ii. मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान:-

(क) मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। यह अधिसीमा 25% तक बढ़ाई जायेगी जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% होगी।

(ख) मृत्यु उपदान:-

सेवा अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 02 (दो) गुणा
एक वर्ष से अधिक पर 05 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 06 (छः) गुणा
05 वर्ष से अधिक पर 11 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 (बारह) गुणा
11 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 20 (बीस) गुणा
20 वर्ष से अधिक	पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का आधा, जो परिलब्धियों के 33 गुणा से अधिक न हो। दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी।

iii. अतिरिक्त पेंशन की राशि:-

न्यायिक सेवा के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से निम्न प्रकार लागू होंगे:-

क्र० सं०	पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी की आयु	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1	75 वर्ष से अधिक एवं 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
2	80 वर्ष से अधिक एवं 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
3	85 वर्ष से अधिक एवं 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
4	90 वर्ष से अधिक एवं 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60%
5	95 वर्ष से अधिक एवं 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80%
6	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

पूर्व प्रावधानों के अनुसार यदि किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों (70 से 75 वर्ष) को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जायेगी।

iv. विविध:-

(क) पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता हेतु आश्रित पारिवारिक सदस्यों की आय रु० 30,000/- (तीस हजार रुपये) प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।

(ख) सेवावधि में मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की तिथि से अगले 10 वर्षों तक वृद्धित दर पर पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 50%) अनुमान्य होगी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु की स्थिति में मृत्यु तिथि से 07 वर्षों तक या उस तिथि तक जब तक सरकारी सेवक की आयु 67 वर्ष हो, यदि जीवित होता, दोनों में से जो पहले हो, वृद्धित दर पर पारिवारिक पेंशन (मूल वेतन का 50%) अनुमान्यता होगी।

2023

(ग) The benefits of number of years of practice at bar subject to maximum of wightage of ten years will be given to direct recruits of HJS who retired prior to 01-01-2016

v. उपर्युक्त प्रावधान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे एवं भुगतान दिनांक 01.07.2023 से किया जायेगा। पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया राशि (दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2023 तक) का भुगतान निम्नवत किया जायेगा:-

(क) कुल बकाया राशि का 25% का भुगतान दिनांक 31.08.2023 तक किया जायेगा।

(ख) कुल बकाया राशि का 25% का भुगतान दिनांक 31.10.2023 तक किया जायेगा।

(ग) कुल बकाया राशि का 50% का भुगतान दिनांक 31.12.2023 तक किया जायेगा।

3. पेंशन/सेवांत लाभों से सम्बन्धित लागू प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. यह कार्यालय ज्ञाप वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं०-I/152341/2023 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Sudhir Kumar
Singh

Date: 08-09-2023 12:15:21

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

संख्या- 382 (1) /XXXVI-A-1/2023-261/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. महासचिव, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
10. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
11. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
13. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
14. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
15. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
16. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
18. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।